राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ **सिविल रिट याचिका संख्या** 14864/2015

सविता पुत्री श्री जोगेन्दर सिंह, उम्र 31 वर्ष, **निवासी व्हाइट हाउस, शोभासरिया इंजीनियरिंग** कॉलेज के पास, वी.पी.ओ. गोकुलपुर, **जिला सीकर। वर्तमान में पीपराली रोड**, सीकर

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. **राजस्थान** सरकार **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष**, 4, औद्योगिक क्षेत्र, **झालाना डूंगरी**, जयपुर, के माध्यम से।
2. **सदस्य सचिव**, राजस्थान सरकार **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, 4, औद्योगिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. **श्रीमती निधि खंडेलवाल, सहायक पर्यावरण अभियंता** सदस्य सचिव, **राजस्थान** सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 4, **औद्योगिक क्षेत्र**, झालाना डूंगरी, **जयपुर के माध्यम** से।
4. **श्री अमित सोनी, सहायक पर्यावरण अभियंता** सदस्य सचिव, राजस्थान सरकार **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, 4, औद्योगिक क्षेत्र, **झालाना डूंगरी**, जयपुर के माध्यम से।
5. **श्री राहुल** शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता **सदस्य सचिव**, राजस्थान सरकार **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, 4, औद्योगिक क्षेत्र, **झालाना डूंगरी**, जयपुर के माध्यम से।
6. **श्री आशीष कुमार बौरासी, सहायक पर्यावरण अभियंता**, राजस्थान सरकार **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, क्षेत्रीय कार्यालय, एसपीएल, @ए, रोड नंबर 6, **इंद्रप्रस्थ औद्योगिक** क्षेत्र, कोटा।
7. **प्रदीप कुमार असनानी, सहायक पर्यावरण अभियंता** सदस्य सचिव, राजस्थान सरकार **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, 4, औद्योगिक क्षेत्र, **झालाना डूंगरी**, जयपुर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री शोभित तिवारी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह तंवर, श्री रोहित तिवारी
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अखिल सिमलोटे श्री दीक्षांत जैन

श्री अश्विनी राज तंवर
श्री संदीप सिंह शेखावत
श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा
सुश्री संजू सैनी के साथ
श्री अभिमन्यु सिंह

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश आरक्षित करने की तिथि : 17/04/2023

आदेश उच्चारित करने की तिथि : 17/04/2023

रिपोर्टेबल

निर्णय

(1) राजस्थान सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1993 (संक्षेप में 1993 के नियम") से जुड़ी अनुसूची-I के अनुसार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद से सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति पाने के लिए, डिग्री धारकों के लिए पांच वर्ष और डिप्लोमा धारकों के लिए दस वर्ष की सेवा आवश्यक है।

(2) अब, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर पांच वर्ष का अनुभव नहीं रखने वाला उम्मीदवार सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति पाने का पात्र है, केवल इसलिए कि उसकी भर्ती में नियुक्ति प्राधिकारी ने देरी की। अधिकार?"

(3) इस मामले की पृष्ठभूमि विज्ञापन संख्या 3/2010 के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण उसका आवेदन कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए स्वीकार कर लिया गया। जब सुधार के लिए उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, तो उसने एकलपीठ दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सिविल रिट याचिका संख्या 12391/2010 और 9.9.2010 को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए, उसे कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद के लिए लिखित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई और प्रत्यर्थियों को उसके परिणाम को एक सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया गया, और तदनुसार वह परीक्षा में शामिल हुई। लिखित परीक्षा और अंततः उसकी याचिका दिनांक 12.7.2011 के आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई और

प्रत्यर्थियों को उसका परिणाम घोषित करने और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त आदेश को प्रत्यर्थियों द्वारा खंडपीठ और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई और अपील क्रमशः 26.7.2012 और 23.11.2012 को अपास्त कर दी गई और अंततः याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 10.12.2012 के द्वारा नियुक्ति दी गई और उनकी योग्यता के आधार पर, उन्हें वर्ष 2015-16 के लिए सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 6 पर रखा गया था। चूंकि, याचिकाकर्ता के पास जूनियर इंजीनियर के पद पर पांच वर्ष का अपेक्षित अनुभव नहीं था, इसलिए विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में "डीपीसी") ने पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार नहीं किया। पांच वर्षों के अपेक्षित अनुभव की कमी के कारण, कई पद खाली रह गए, इसलिए राजस्थान सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (संक्षेप में "आरएसपीसी बोर्ड") ने सरकार से रिक्त पदोन्नति पदों को भरने के लिए अनुभव में छूट देने का अनुरोध किया, और तदनुसार निर्णय लिया। सरकार द्वारा नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया और सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए एक तिहाई (1/3) अवधि की छूट दी गई। एक तिहाई अवधि की छूट देने के बावजूद, याचिकाकर्ता के पास दो तिहाई अनुभव की कमी थी, इसलिए उसके मामले पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया।

(4) इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:-

> "इसलिए, अत्यंत प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को अनुमति दी जाए और:-
>
> क) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिससे दिनांक 21.7.2015 के पदोन्नति आदेश को अपास्त कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जाए।
>
> ख) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसके तहत प्रत्यर्थियों को नवंबर 2010 से याचिकाकर्ता को वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर अनुभव का लाभ देने का निर्देश दिया जाए या वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता को सहायक पर्यावरण के पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव में छूट का लाभ दिया जाए।
>
> ग) कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जिसे माननीय न्यायालय मामले

के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

(5) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने में प्रत्यर्थियों द्वारा देरी की गई थी और याचिकाकर्ता से पहले कम योग्यता वाले व्यक्तियों को कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर नियुक्ति दी गई थी और उनके मामले पर डीपीसी द्वारा कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति पर विचार किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यार्थियों को उच्च पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए 1993 के नियमों के नियम 27(9) का लाभ देना चाहिए था और उन्हें उस अवधि के लिए उसके अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए था, जिसके दौरान उसने वास्तव में प्रदर्शन नहीं किया था। याचिकाकर्ता को कर्तव्य और अनुभव का काल्पनिक लाभ दिया जाना चाहिए था। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के अनुभव की अवधि को कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 4.6.2008 के खंड 15.1 और कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.3.2015 के संशोधित खंड 15.1 के अनुसार गिना जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

(i) नीरज कुमार सैनी बनाम यूपी सरकार। (2017) 14 एससीसी 136

(ii) सी. जयचंद्रन बनाम केरल सरकार (2020) 5 एससीसी 230

(iii) भारत संघ बनाम एन.आर. परमार (2012) 13 एससीसी 340

(iv) पेरियाथम्बी पद्याची बनाम चिंतामणि 2019 एससीसी ऑनलाइन मैड 22757

(v) राजस्थान सरकार बनाम डॉ. वी.के. दोस्त एकलपीठ सीडब्ल्यूपी नंबर 15713/2010

(vi) भंवरलाल मालाकार बनाम सरकार 1990 (1) आरएलआर 576

(vii) राजस्थान सरकार बनाम श्री भंवर लाल खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1052/1998

(viii) राजस्थान सरकार बनाम श्री भंवर लाल मालाकार एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3935/1998

(ix) भोम सिंह महलावत बनाम राजस्थान सरकार एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9106/2008

(x) लक्ष्मण प्रसाद मीना बनाम सरकार सिविल रिट याचिका संख्या

7566/2008

(xi) जय नारायण मीना बनाम राजस्थान सरकार 1994 (3) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 537

(xii) प्रकाश चंद मीना बनाम राजस्थान सरकार एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9479/2015

उन्होंने मुकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य [एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 16922/2019] मामले पर भरोसा करते हुए। प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को उस तारीख से वरिष्ठता और पदोन्नति जैसे अनुमानित हितलाभ देने का निर्देश दिया जाए, जिस तारीख से कम मेधावी व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी।

(6) इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद का अपेक्षित अनुभव नहीं था, इसलिए उसके मामले को सहायक पर्यावरण अभियंता पद पर पदोन्नति के लिए नहीं माना गया। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पहले की रिट याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा कोई परिणामी लाभ प्राप्त करने के लिए कोई राहत का दावा नहीं किया गया था और उसकी प्रार्थना केवल कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर नियुक्ति तक ही सीमित थी और तदनुसार, इस न्यायालय ने उसकी रिट याचिका की अनुमति देते हुए उनकी नियुक्ति के लिए ही निर्देश जारी किए। अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 1993 के नियमों के नियम 27(9) के प्रावधान और डीओपी के परिपत्र के खंड 15.1 वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं, इसलिए यह याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं था। अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित अनुभव की कमी है, इसलिए वह 2015-16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की पात्र नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

(i) शैलेन्द्र दानिया बनाम एस.पी. दुबे (2007) 5 एससीसी 535

(ii) के.के. दीक्षित बनाम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (2015) 1 एससीसी 474

(7) अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, याचिकाकर्ता 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर अपनी पदोन्नति की पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अपेक्षित अनुभव के आधार पर उन्हें

1018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध पहले ही पदोन्नति दी जा चुकी है। इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

(8) बार में दी गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

(9) रिकॉर्ड के अवलोकन से संकेत मिलता है कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में, याचिकाकर्ता ने परिणामी लाभ देने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है। उसने केवल नियुक्ति देने के लिए प्रार्थना की थी और तदनुसार, उसकी याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 12.7.2011 के आदेश के तहत अनुमति दी थी और उसे 10.12.2012 को कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर नियुक्ति दी गई थी। अब याचिकाकर्ता को उस पद के किसी भी काल्पनिक या परिणामी लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिस पर उसे नियुक्ति दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा अपनी नियुक्ति के निर्देशों से संतुष्ट थी, इसीलिए उसने मुकदमेबाजी के पहले दौर में वरिष्ठता, पदोन्नति आदि जैसे काल्पनिक या परिणामी लाभों की मांग करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

(10) माना जाता है कि सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति पाने के लिए कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है और जब वर्ष 2015 में पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की गई थी तब याचिकाकर्ता के पास पांच वर्ष का अपेक्षित अनुभव नहीं था। इसीलिए उनके मामले पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया.

(11) याचिकाकर्ता डीओपी परिपत्र दिनांक 4.6.2008 और 31.3.2015 के खंड और संशोधित खंड 15.1 की गलत व्याख्या कर रहा है। 1993 के नियमों का परिपत्र और नियम 27(9) पदोन्नति के लिए अनुभव की अवधि की गणना करने के प्रावधान से संबंधित है।

(12) 1993 के नियमों के परिपत्र और नियम 27 (9) में नियमों में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि 1993 के नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-I के अनुसार, सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति पाने के लिए कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पद पर पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है, लेकिन जब ऐसे

उम्मीदवारों की उपयुक्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, तो आरएसपीसी बोर्ड ने राज्य से नियमों में ढील देने का अनुरोध किया और नियमों को दो-तिहाई (2/3) अनुभव तक शिथिल कर दिया गया। उपरोक्त छूट देने के बाद भी याचिकाकर्ता को आवश्यक अनुभव की कमी थी, यही कारण है कि पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार नहीं किया गया था।

(13) पदोन्नति के लिए आवश्यक मानदंड के रूप में अनुभव की अवधि तय करना, सेवा में प्रशासनिक रुचि पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवश्यक अनुभव प्रशासनिक दक्षता और गुणवत्तापूर्ण आउटपुट को बेहतर बढ़ावा देगा। अनुभव को वास्तविक अनुभव के रूप में समझा जाना चाहिए। नियम 1993 की अनुसूची-I के अनुसार अनुभव एक अनिवार्य शर्त है और ऐसी शर्त का विस्तार नियमों की भावना का उल्लंघन होगा। पदोन्नति के लिए पांच वर्ष का अनुभव होने का मानदंड नियमों के तहत तय किया गया है और याचिकाकर्ता के पास पदोन्नति पद के लिए उसके मामले पर विचार के समय यह अनुभव होना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं।

(14) इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं मिला कि न्यायिक कार्यवाही लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता की नियुक्ति में देरी हुई। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर इस न्यायालय की एकलपीठ और खंडपीठ द्वारा तुरंत निर्णय लिया गया और अंततः आरएसपीसी बोर्ड द्वारा दायर अपील पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 23.11.2012 को निर्णय लिया गया और उसके तुरंत बाद 10.12 को उसे नियुक्ति दे दी गई। 2012. वर्तमान मामले में "एक्टस क्यूरीए नेमिनेम ग्रेवाबिट" का लैटिन सिद्धांत लागू नहीं है।

(15) इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि उसे 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव में छूट का लाभ दिया जाए। 1993 के नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है और नियमों में ढील देने की शक्ति सरकार सरकार अर्थात कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास है, जिन्हें इस याचिका में प्रत्यर्थी पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसके अभाव में, नियमों में और छूट के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

(16) ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय इस याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाती है। अतः इसे अपास्त किया जाता है।

(17) स्थगन आवेदन और सभी आवेदन, यदि कोई हों, तो भी अपास्त कर दिए जाते हैं।

(18) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(अनूप कुमार ढंड) न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।